

न्यायालय 34 खंड अधिकांश कोर्टकासिम (अलवर) राज-  
पीठासीन अधिकांश - श्री विश्वामित्र जीमा एस.ड.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
242/16	19-8-2016	31.10.2017

अनुमान

[1] संतरा देवी पत्नि राम अवतार जाति अहीर निवासी अहीरवासा  
तहसील कोर्टकासिम जिला अलवर (राजग)

वनाम

- वादिया

- [1] छोटेनाम पुत्र प्रभु
- [2] चन्द्रो पत्नि प्रभु जाति अहीर निवासी अहीरवासा
- [3] फकीर चन्द पुत्र दाताराम जाति अहीर निवासी अहीरवासा  
तहसील कोर्टकासिम जिला अलवर (राजग)
- [4] ए. वी. ए. जी. बी. शास्त्री वीवीएनजी जीए शास्त्री प्रकथक वीवीएनजी  
तहसील कोर्टकासिम जिला अलवर (राजग)
- [5] राज. सरकार जीए तहसीलदर (अंडर इन्चार्ज) कोर्टकासिम (अलवर)
- [6] पवन कुमार
- [7] गरीबद
- [8] राजकुमार पुषांज बंशीधर
- [9] बंशीधर पुत्र प्रभु जाति अहीर निवासी अहीरवासा तहसील  
कोर्टकासिम जिला अलवर (राजग)

- प्रतिवादीगण

दावा न्यायालय आरणी वनाम हुम अमर्षि स्वामी  
सं.ख्या. 53,188 राज. का.अ. अधिनियम 1955

उपस्थित :-

[1]

(स)

जन वक्ता अधिकारी  
कोर्टकासिम (अलवर)

वादिया ने मध्य आधीआपण आलोक होकर एका वक तकासम व  
हुम अमर्षि स्वामी का वर आशारे का पीरा होया कि विवाहीत

लागाकर

आरजी थल स्व.नं. 171/0.18, 173/0.08 के रजिस्टर खाता सं. 60 का  
 1/2 हिस्सा तथा स्व.नं. 167/0.92, 172/0.63 के का 1/4 हिस्सा  
 वाले ग्राम अहीरवाला तहसील कोटवासीम (खिच) में विवाहीत  
 आरजी स्व.नं. 171, 173 को माया देवी ने परिवारी सं. 9 वंशीधर से  
 जॉर्ज रजिस्टर वयनामा खरीद किया था। मिन वादिया ने उक्त स्व.  
 नं. माया देवी से जॉर्ज रजिस्टर वयनामा खरीद किया है। तथा  
 स्व.नं. 167, 172 को माया देवी व सुनेरा देवी ने परिवारी सं. 9 वंशीधर  
 व उसकी आता चन्द्रा देवी से खरीद किया था। मिन वादिया ने उक्त  
 स्व.नं. को माया देवी व सुनेरा देवी से जॉर्ज रजिस्टर वयनामा -  
 वाजाला वयनामा सुभस्त प्रतिकर रात्री अक्षय खरीद किया था।  
 उक्त आरजी मिन वादिया व परिवारीगण 1 नं. 3 की सामग्री  
 वाजाला वाजाला खाते की आवजी है। जिसका अभी तक कोई  
 तकासमा नहीं हुआ है। जो अक्ट आरजी है। जिसको सामग्री में  
 ही वाजाला कर रहे हैं। परिवारीगण ग्रामगत वाजाला को लेकर  
 मिन वादिया के साथ तमाजा पैदा करते रहे हैं। इसलिये मिन वादिया  
 विवाहीत सुभजीधर का बहि मील से एक वाजाला तकासमा कराना  
 चाहती है। परिवारीगण 6 नं. 9 व 1, 2 परिवार के सदस्य हैं जो  
 आगे रोज वादिया को खाते की सुभजीधर में अजाहमत व  
 अक्षयकर पैदा करते रहे हैं। इसलिये तकासमा कराना वाजाला

दावा दर्ज रजिस्टर कर परिवारीगण को जॉर्ज प्रथम तमाजा  
 किया गया। फावनी के रूप को रजिस्टर तहसील कोटवासीम में  
 दिनांक 29.5.2017 को पेश हुआ। वाद विभाजन का होने को कारण  
 वाद में प्रारंभिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार कोटवासीम को  
 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भेजवाने को मिन वादिया को सुझाव जारी किया  
 गया। तहसीलदार कोटवासीम ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस  
 न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें प्रस्तावना को हस्ताक्षर कर  
 रजि वादिया उनीआधका ने सुभजी सुभजी प्रकार की।

01  
 न्याय अधिकारी  
 कोटवासीम (न्याय)

अतः वादिया का वाद इस तरह फाईल में डिक्री किया  
 जागाए

[3]

जाता है जो आराजी ख. नं. 167/2 खण्ड 0.23, 171/1 खण्ड 0.13, 172/1 खण्ड 0.16 ईकटर वाली ग्राम अहीरवापना में सनसराही पान्नी रामअवतार कौम अहीर (प. देह खण्डे दार की रहेगी। ख. नं. 167/3 खण्ड 0.23, 172/2 खण्ड 0.16 ईकटर में कोरेगाव पुत्र प्रभु 2/3, पन्डी पान्नी प्रभु 1/3 कौम अहीर (प. देह खण्डे दार की रहेगी। ख. नं. 171/2 खण्ड 0.05, 173/0.08 पुत्र कोरेगाव पुत्र प्रभु कौम अहीर (प. देह खण्डे दार रहेगी। एवं ख. नं. 167/1 खण्ड 0.46, 172/3 खण्ड 0.31 ईकटर में - पान्नी-चन्द पुत्र दाताराम कौम अहीर (प. देह खण्डे दार राहिन ए. वी. ए. जी. वी शाखा वीवीएन की रहेगी। इसी अनुसार राखव निकाले में समय इशार हो। (अनुसार फर्क डिक्री जारी हो।

निर्णय राजा सिवाका 31.10.2017 को मेरी द्वारा लिखा जाकर सूर्य उज्जाल सुभाष राव।

एन  
राम चण्डू अधिकारी  
मैजिस्ट्रेट (नगर)

## पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर  
पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीणा आर.ए.एस.

दावा संख्या  
242/16

दायरा दिनांक  
19.8.2016

निर्णय दिनांक  
31.10.2017

### अनुवान

1. संतरा देवी पत्नि रामअवतार जाति अहीर निवासी अहीर बासना तह0 कोटकासिम जिला अलवर(राज0)

— वादिया

### बनाम

1. छोटेलाल पुत्र प्रभू
2. चन्द्रो पत्नि प्रभू जाति अहीर निवासी अहीरबासना
3. फकीरचन्द पुत्र दाताराम जाति अहीर निवासी अहीरबासना तह0 कोटकासिम
4. ए.वी.ए.जी.बी. शाखा बीबीरानी जयें शाखा प्रबन्धक बीबीरानी तह0 कोटकासिम
5. राज.सरकार जयें तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कोटकासिम(अलवर)
6. पवन कुमार
7. नरेन्द्र
8. राजकुमार पुत्रान बंशीधर
9. बंशीधर पुत्र प्रभू जाति अहीर निवासी अहीर बासना तह0 कोटकासिम जिला अलवर (राज0)


— प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्मइम्तनाईदवामी अंधा.  
53,188 राज.काश्त.अधिनियम 1955


### आदेश

वादी का वाद इस कदर फाईनल डिक्री किया जाता है कि आराजी ख.नं. 167/2 रकबा 0.23, 171/1 रकबा 0.13, 172/1 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम अहीरबासना मे सन्तरा देवी पत्नि रामअवतार कौम अहीर सा.देह खातेदार की रहेगी। ख.न. 167/3 रकबा 0.23, 172/2 रकबा 0.16 है0 मे छोटेलाल पुत्र प्रभू 2/3, चन्द्रो पत्नि प्रभू 1/3 कौम अहीर सा.देह खातेदार की रहेगी। ख.न.171/2 रकबा 0.05, 173/0.08 है0 मे छोटेलाल पुत्र प्रभू कौम अहीर सा.देह खातेदार रहेगी। एवं ख.न. 167/1 रकबा 0.46, 172/3 रकबा 0.31 है0 मे फकीरचन्द पुत्र दाताराम कौम अहीर सा.देह खातेदार रहिन ए.वी.ए.जी.बी. शाखा बीबीरानी की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम(अलवर) जिला  
अलवर (अलवर)

संतशा (स्वदेशीकरण)



राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प तारीख पर प्रभाविता अधिमात्र	
1. अधिमात्र अपसंरचना सुपा...	...
2. गाव आ...	...
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर	

पचा डेकी

इसका संतशा अगम स्वदेशीकरण में  
हस्तियुती आर्थिक विप्रेया जारी है।

RP

रज बण्ड अधिकारी  
जोडकसिम (अधवर)